कार्यालय छावनी परिषद बबीना

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद बबीना के बुध बाजार से लगी हुयी पश्चिम दिशा में बनी 24 दुकानों में से 15 दुकानें, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, केवल बकरे का मीट एवं चिकेन (मुर्गा) के व्यवसाय के प्रयोजन हेतु लिये खुली नीलामी दिनाँक **11/08/2017** को प्रातः 11:30 बजे से कार्यालय छावनी परिषद, बबीना में की जानी है, जिसके लिये इच्छुक व्यक्तियों/फर्म के प्रोपराईटर/दुकानदारों को नीलामी में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं0	दुकानों का विवरण एवं संख्या	व्यवसाय जिसके लिये दुकानों का उपयोग किया जा सकेगा	नीलामी की तिथि एवं समय	स्थान
1.	बुध बाजार से लगी हुयी पश्चिम दिशा में बनी 24 दुकानों में से 15 दुकानें (क्र0 सं0 03 से 10 एवं 18 से 24 तक)	केवल मीट/मुर्गा व्यवसाय हेतु	11/08/2017 प्रातः 11:30 बजे से	कार्यालय छावनी परिषद, बबीना

(1)	लाईसेन्स फार्म खरीदने हेतु आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि व समय	–	दिनाँक 04/08/2017 को सांय 17:00 बजे तक।
(2)	लाईसेन्स फार्म का शुल्क	–	रु0 100.00 + वस्तु एवं सेवा कर (GST)
(3)	लाईसेन्स फार्म जारी होने एवं अग्रिम धनराशि रु0 4,000/– जमा करने की तिथि व समय	–	दिनाँक 08/08/2017 को सुबह 10:00 बजे से सांय 17:00 बजे तक।
(4)	पूर्ण रूप से भरा हुआ, हस्ताक्षरित एवं अग्रिम धनराशि की रसीद अथवा एफ.डी.आर. के साथ लाईसेन्स फार्म जमा करने की तिथि व समय	–	दिनाँक 09/08/2017 को सुबह 10:00 बजे से सांय 17:00 बजे तक।
(6)	नीलामी में शामिल होने के लिये पास जारी करने की तिथि व समय	–	दिनाँक 10/08/2017 को 14:00 बजे तक।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा अन्यथा की स्थिति में आवदेक को लाईसेन्स फार्म निर्गत नहीं किया जायेगा।

1. छावनी परिषद, बबीना से द्वारा आरोपित करों में से जो भी आवेदक पर लागू हों उनकी वर्तमान तक की आदयगी की रसीद की छायाप्रति।
2. छावनी परिषद, बबीना से वर्ष 2017–18 के लिये ट्रेड लाईसेन्स लेने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद की छायाप्रति।
3. लाईसेन्स प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म के प्रोपराईटर/दुकानदार का आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र एवं निवास का प्रमाण संबंधी दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
4. लाईसेन्स प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म के प्रोपराईटर/दुकानदार के पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो फोटोग्राफ।
5. आवेदनकर्ता जहाँ का निवासी है वहाँ के स्थानीय पुलिस थाना द्वारा जारी पुलिस सत्यापन (Police Verification) की मूल प्रति (अधिकतम छः माह से पुराना नही)।
6. आवेदनकर्ता जहाँ का निवासी है वहाँ के स्थानीय सरकारी अस्पताल अथवा जिला चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति (अधिकतम छः माह से पुराना नही)।
7. फोटोशुदा नोटरी शपथपत्र (अधिकतम छः माह से पुराना नही), जिसका प्रारुप इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित अनिवार्य दस्तावेजों में से यदि कोई दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाता है अथवा संलग्न किये गये दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं तो ऐसे आवेदनकर्ता को लाईसेन्स फार्म निर्गत नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य अथवा प्रशासनिक कारणों से नीलामी की तिथि में बदलाव किया जा सकता है जिसके लिये यथोचित सूचित किया जायेगा।

नोट :– जिस व्यक्ति/फर्म द्वारा बुध बाजार में स्थित मीट/मुर्गा व्यवसाय (सुअर के मीट के व्यवसाय को छोडकर) के लिये 24 दुकानों में से कोई भी दुकान लाईसेन्स पर ले ली गई है उन्हें नीलामी में पुनः शामिल नही किया जायेगा। अतः कृपया ऐसे व्यक्ति/फर्म पुनः आवेदन न करें।

नीलामी से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दी गई हैं एवं राजस्व विभाग में उपलब्ध हैं, जो किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे से 17:00 बजे तक कार्यालय में आकर संबंधित अनुभाग में देखी जा सकती हैं एवं कार्यालय की वेबसाईट www.cbbabina.org.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

पत्रांक : आर.आई./नीलामी/बुध बाजार/2017–18/593
कार्यालय छावनी परिषद बबीना।
दिनांक 29 जुलाई, 2017

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, बबीना
(अभिषेक आजाद, आईडीईएस)

बुध बाजार में स्थित 24 दुकानों में से वर्तमान में रिक्त 15 दुकानों (क्र0 सं0 03 से 10 एवं 18 से 24 तक) को केवल मीट/मुर्गा व्यवसाय (सुअर के मीट के व्यवसाय को छोडकर) के लिये लाईसेन्स पर देने के लिये नीलामी की नियम एवं शर्ते :–

1. जिस व्यक्ति/फर्म द्वारा बुध बाजार में स्थित मीट/मुर्गा व्यवसाय (सुअर के मीट के व्यवसाय को छोडकर) के लिये 24 दुकानों में से कोई भी दुकान लाईसेन्स पर ले ली गई है उन्हें नीलामी में पुनः शामिल नही किया जायेगा। अतः कृप्या ऐसे व्यक्ति/फर्म पुनः आवेदन न करें।
2. छावनी परिषद, बबीना द्वारा आरोपित करों में से जो भी आवेदक पर लागू हों उनकी वर्तमान तक की आदयगी की रसीद की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म छावनी परिषद बबीना के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी वाद में वादी अथवा प्रतिवादी नहीं होना चाहिये।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने के पूर्व दुकानों की स्थिति एवं साईज का निरीक्षण स्वयं मौके पर जाकर कर लें। बोली लगाने अथवा बोली स्वीकृत होने के पश्चात स्थिति अथवा साईज के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. नीलामी दो चरणों मे सम्पन्न की जायेगी। प्रथम चरण में बबीना छावनी में मेन रोड, स्टेशन रोड, एवं मैन मार्केट में स्थित वर्तमान में पक्की दुकानों में व्यवसाय कर रहे मीट/मुर्गा व्यवसाइयों (जिनकी सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है) में से प्राप्त आवेदकों को शामिल किया जायेगा। द्वितीय चरण में अन्य सभी शेष आवेदकों को शामिल किया जायेगा। द्वितीय चरण की नीलामी प्रथम चरण की नीलामी सम्पन्न होने के तुरंत पश्चात आरम्भ की जायेगी।
6. यदि नीलामी के लिये निर्धारित तिथि पर समस्त दुकानों की नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पाती है तो शेष दुकानों की नीलामी आगामी कार्यदिवसों में उसी समय पर सम्पन्न की जायेगी।
7. 24 दुकानों में से वर्तमान में रिक्त 15 दुकानों (क्र0 सं0 03 से 10 एवं 18 से 24 तक) की नीलामी केवल मीट/मुर्गा व्यवसाय (सुअर के मीट के व्यवसाय को छोडकर) के लिये होगा, इन दुकानो में किसी अन्य तरह का व्यवसाय नही किया जायेगा।
8. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के सही पाये जाने के उपरांत एवं ऊपर वर्णित शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदन कर्ता को लाईसेन्स फार्म निर्गत किया जायेगा।
9. नीलामी सूचना में दर्शाये गये अनिवार्य दस्तावेजों में से यदि कोई दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाता है अथवा संलग्न किये गये दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं तो ऐसे आवेदनकर्ता को लाईसेन्स फार्म निर्गत नहीं किया जायेगा।
10. लाईसेन्स फार्म निर्गत होने के पश्चात आवेदन कर्ता को लाईसेन्स फार्म में सम्पूर्ण जानकारी भरकर एवं हस्ताक्षर करके निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय छावनी परिषद, बबीना में जमा करना होगा एवं लाईसेन्स फार्म के साथ अग्रिम धनराशि रूपया 4,000.00 (रूपया चार हजार मात्र) की कैण्ट 4–बी रसीद की मूल प्रति अथवा एफ.डी.आर., जो मुख्य अधिशासी अधिकारी के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगी।
11. सभी प्रतिभागी सभी दुकानो में भाग ले सकते है परन्तु जिस व्यक्ति/फर्म की अधिकतम बोली किसी दुकान के लिये बोली जाती है तो वह बाकी अन्य दुकानो में बोली बोलने के लिये अधिकारी नही होगा।
12. अपूर्ण, अहस्ताक्षरित अथवा अग्रिम धनराशि के बिना लाईसेन्स फार्म निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे आवेदनकर्ता को नीलामी में शामिल होने के लिये पास जारी नहीं किया जायेगा एवं ना ही नीलामी में शामिल किया जायेगा।
13. नीलामी में शामिल होने के लिये जिन लोगों को पास जारी किया जायेगा केवल वे ही नीलामी में शामिल होने के पात्र होंगें अन्य किसी व्यक्ति को नीलामी प्रकिया के दौरान शामिल होने अथवा उपस्थित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
14. अपरिहार्य अथवा प्रशासनिक कारणों से नीलामी स्थगित की जा सकती है अथवा नीलामी की तिथी में बदलाव किया जा सकता है, जिसके लिये यथोचित सूचित किया जायेगा।
15. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने के पूर्व इन दुकानों में उनके द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय की सूचना छावनी परिषद, बबीना के निधार्रित लाईसेन्स फार्म में लिखकर देनी होगी जिसका उल्लेख बाद में इकरारनामें में भी किया जायेगा।
16. सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. उक्त 24 दुकानों में से वर्तमान में रिक्त 15 दुकानों (क्र0 सं0 03 से 10 एवं 18 से 24 तक) की नीलामी लाईसेन्स पर देने के लिये प्रथमतः एक वर्ष के लिये की जायेगी। लाईसेन्स अवधि की गणना छावनी परिषद, बबीना द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात हस्तांतरण की तिथि से की जायेगी।
18. उपरोक्त लाईसेन्स अवधि के सफलतापूर्वक समाप्त होने एवं संतोषजनक पाये जाने पर तथा लाईसेन्स अवधि के दौरान निर्विवाद रहने पर छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाईसेन्स की अवधि एक–एक वर्ष के लिये अधिकतम चार बार, पिछले वर्ष की लाइसेन्स फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ, बढाई/नवीनीकृत की जा सकती है परन्तु यह पूर्णतः केवल मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना के विवेक पर निर्भर करता है, जो मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना पर बाध्यकारी नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।